

उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध वाद संख्या -20...../2014

जमील अहम्मद

बनाम्

गिरिश मुण्डा वगै०

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी

आवेदक द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 63 (b) के तहत आवेदन दाखिल करते हुए वर्ष 1975 में निर्गत बन्दोबस्ती पर्चा रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक द्वारा बन्दोबस्ती पर्चा की सच्चिप्रति दाखिल करने के उपरान्त प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख उपस्थापित करें।

उपायुक्त,
रामगढ़।

11/8/14

आवेदक की मौखिक सच्चिप्रति व बन्दोबस्ती पर्चा का रद्द किया।

पी०पदा० अन्य कार्य में व्यस्त।
दिनांक 08/9/14 को रखा।

प्र० दया०

8/9/14

आवेदक - Put up on 29/9/14

28
8/9

29/9/14

आवेदक - एकालतन हाजरी
पी०पदा० अन्य कार्य में व्यस्त।
दिनांक 3/10/14 को रखा।

प्र० दया०

9/10/14

आवेदक - एकालतन हाजरी.
पी०पदा० अन्य कार्य में व्यस्त।
दिनांक 13.10.14 को रखा।

प्र० दया०

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश
कार्रवाई के
दिखायी तारीख


21/12/2018

—: आदेश :—

अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि आवेदक जीमल अहम्मद की मृत्यु हो गई है, इस आशय के सम्बन्ध में शपथ पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया है।

उक्त परिपेक्ष्य में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित करना न्यायसंगत नहीं होगा। अतः बिना किसी प्रभावकारी आदेश के वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा है।
लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त,
रामगढ़।


उपायुक्त,
रामगढ़।